परिवहन निगमों में जो करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

MR. SPEAKER : It does not arise.

Recruitment of police officers in Dadra and Nagar Haveli

*794. SHRI R. R. PATEL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the criteria adopted for the recruitment of police officers in Dadra and Nagar Haveli;

(b) whether Police Sub-Inspectors were recruited recently; and

(c) if so, the method of their recruitment?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) तथा (ग). एक रिजर्व सब-इंसपेक्टर अक्तूबर, 1977 में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया था।

विवरण

(क) दादरा व नगर हवेली प्रशासन म पुलिस अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती के लिए मानदण्ड इस प्रकार है :—

(1) पुलिस का प्रधान (2) पुलिस का सहायक प्रधान	इन पदों के लिए भर्ती नियम अभी तक नहीं बनाये गये हैं। ये पद राज्य/संघ शासित क्षेत्र से व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर लेकर भरे जाते हैं ।
(3) पुलिस उप-निरीक्षक (निरस्त्र) (4) कम्पनी कमाण्डर	भर्ती नियमों के अनुसार इनमें से 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से, 25 प्रतिशत उन हेड कांस्टेबलों में से पदोन्नति दवारा जिन्होंने पुलिस प्रशिक्षण स्कूल बड़ौदा में अपना प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त कर लिया है और 25 प्रतिशत वरिष्ठ हेड कांस्टेबलों से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । 19 से 25 वर्ष की आयु के वर्ग के व्यक्ति, जिन्होंने एस० एस० सी० अथवा उसके बराबर की परीक्षा पास की हो, सीधी भर्ती के लिए पात्र हैं ।
(5) रिजर्व सब-इंसपेक्टर	इस पद के भर्ती नियम अभी तक नहीं बनाये गये हैं। यह पद राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति लेकर भरा गया है ।

(6)	हैड कांस्टेबल (निरस्त्र)	भर्ती नियमों के अनुसार ये पद उन निरस्त्र/सशस्त्र कांस्टेबलों से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं जिन्होंने उस पद पर कम से कम 5 वर्ष निरन्तर सेवा की है।
(7)	हैड कांस्टेबल (सशस्त्र)	
(8)	निरस्त्र कांस्टेबल	भर्ती नियमों के अनुसार ये पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। 18 से 22 वर्ष की आयु के वर्ग के व्यक्ति जो छठा स्टैंडर्ड पास है, सीधी भर्ती के पात्र है।
(9)	सशस्त्र कांस्टेबल	

श्री आर० आर० पटेल मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि क्या केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के स्थानीय पी०एस०आई० की ट्रांस्फर हो सकती है या नहीं, अगर हो सकती है तो वह कब होगी और अगर नही हो सकती है, तो उस का क्या कारण है।

श्री धनिक लाल मण्डल जो दादरा और नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वह गोआ, दमन तथा दीव के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है। माननीय सदस्य को मालूम है कि उनसे अनुरोध किया गया है कि वह गोवा सरकार से बात कर के इस बात के लिए राजी हो जाये कि दादरा और नगर हवेली के जिस पुलिस सब-इंस्पैक्टर को बदलना है, उन्हें गोआ भेज दिया जाये और वहां से कोई यहां आ जाये। इस के अतिरिक्त हम लोगो ने गुजरात सरकार से भी बातचीत चला रखी है, और मुझे विश्वास है कि यह मामला हल हो जायेगा और वह सब-इंस्पैक्टर वहां से बदल दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री आर० आर० पटेल क्या उस की ट्रांसफर केन्द्र शासित प्रदेश में ही हो सकती है या नहीं ?

श्री धनिक लाल मण्डल मैंने माननीय सदस्य को जानकारी दी है कि गोआ, दमन तथा दीव के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत हो चुकी है। उन से निवेदन किया गया है कि वह इस के लिए राजी हो जायें कि म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाये--दादरा तथा नगर हवेली से एक व्यक्ति गोआ चला जाये और गोआ से वहां चला जाए। इस के अतिरिक्त मैंने यह सूचना दी है कि गुजरात सरकार से भी बातचीत हो रही है कि वह इस अफसर को वहां ले जाये और उस के एवज में एक अफसर दे दे। यूनियन टेरीटरीज के साथ भी बातचीत हो रही है। हम इस सम्भावना पर भी विचार कर रहे हैं।

SHRI AMRUT KASAR The hon Minister of State for Home Affairs told here that he was going to speak to the Government of Goa, Daman and Diu The Union Territory of Dadra and Nagar Haveli is not a part of Goa, Daman & Diu These are two different territories Only the Administrator is one There are no transfers from Goa Daman & Diu to Dadra & Nagar Haveli and there are no transfers from Dadra Nagar Haveli to Goa Daman & Diu I do not understand how the Home Minister will get these transfers from Goa Daman & Diu to Dadra Nagar Haveli These are Union Territories Mostly the Police Inspectors, the Superintendents of Police, I G Ps, are recruited from outside these territories and they are mostly from Northern India They go there but do not have the knowledge of the local language I would like to ask a specific question,

will the local people from the Union territory be recruited in these high posts?

श्री धनिक लाल मण्डल : दादरा और नगर हवेली के इंस्पेक्टर का ट्रांस्फर नहीं हो सकता है, इसीलिए तो लेफ्टिनेंट-गवर्नर के इन्टरवेन्शन की जरूरत है—इसीलिए तो उन से रिक्वेस्ट की गई है कि वह सहमत हों। अगर ट्रांसफरेबल होता तो फिर तो बात ही नहीं थी। ट्रांसफरेबल नहीं है इसीलिए तो यह सब प्राबलम है और माननीय सदस्य का जो यह प्रश्न है कि वहां के लोगों को क्यों नहीं लिया जाता है, तो सब-इंसपेक्टर रैंक तक तो सब लोकल ही लिए जाते हैं और उनका डायरेक्ट रेक्रूटमेंट किया जाता है।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Shortage of Raw Materials in Handicraft Industry in Kerala

*780. SHRI R. V. SWAMINATHAN:

SHRI G. M. BANATWALLA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether handicraft industry in Kerala State have been facing acute shortage of raw materials and if the present position continues, the day is not far off, the industry will be wiped out of existence;

(b) whether rose-wood, once available in abundance in the State at moderate price, is now scarce but its cost has increased by ten fold over the last five years;

(c) number of workers likely to be affected;

(d) whether Government of Kerala have approached the Government of India for necessary and immediate help in the matter; and

(e) if so, what steps have been taken by Government to make available raw materials at reasonable rates to save the handicraft industry in that State?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) The handicraft industry in Kerala State as a whole, is not facing acute shortage of raw materials. It is only the wood carving and ivory carving industry which have been experiencing shortage of raw materials in recent years.

(b) The total availability of rose-wood in Kerala State is not scarce vis-a-vis its demand from wood carving industry. However, the exports of rose-wood appear to have resulted in shortage in the domestic market with consequent increase in prices by about 5 to 6 times during the last 4-5 years.

(c) The rising trend of sales and exports of handicrafts does not indicate adverse effect on workers.

(d) The Government of Kerala have approached the All India Handicrafts Board for financial assistance to augment the share capital of the Kerala State Handicrafts Corporation so as to enable it to improve supply of raw materials to craftsmen and improve marketing of handicrafts. Earlier the Corporation has already set up a raw material depot for supply of rose-wood and ivory to craftsmen.

(e) The proposal of the State Government is under consideration.

Subsidy to Handloom Industry

*782. SHRI S. D. SOMASUNDARAM: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to lay a statement showing: